

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/युगलपीठ/ — /2026 दि0 लखनऊ: 12 जून, 2026

—: संशोधित आदेश ::—

मुख्यालय के आदेशांक 473/2026 दिनांक 08.05.2026 के द्वारा माह जून, 2026 में युगलपीठ का गठन जनपद लखनऊ में दिनांक 15.06.2026 से 17.06.2026 तक एवं जनपद अयोध्या में दिनांक 19.06.2026 से 20.06.2026 तक किया गया है। उपरोक्त युगलपीठ में न्यायिक सदस्य के रूप में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1 लखनऊ को नामित किया गया है।

सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1 लखनऊ ने अपने पोर्टल पर दिनांक 15.06.2026 से 25.06.2026 तक उपार्जित अवकाश आवेदित किया गया है।

उपरोक्त अपरिहार्य परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचार करते हुए, पूर्व निर्गत युगल पीठ गठन आदेश संख्या 473/2026 दिनांक 08.05.2026 द्वारा जनपद लखनऊ में दिनांक 15.06.2026 से 17.06.2026 तक एवं जनपद अयोध्या में दिनांक 19.06.2026 से 20.06.2026 तक गठित युगलपीठ को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0/12.06.2026

(रमेश चन्द-1)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांक संख्या-वा0क0अधि0/यु0पी0/665/2026 दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ।
- 2- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-अयोध्या।
- 3- वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक (विवरण/वेब अधिकारी/नाज़िर, मुख्यालय।

आज्ञा से,

प्र0निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।